समक्ष बी. एस. ढिल्लों, न्यायमूर्ति

हरियाणा राज्य-याचिकाकर्ता

बनाम

हरभजन सिंह और एक अन्य-प्रत्यर्थी

आपराधिक संशोधन संख्या **1978** की **3**-आर।

8 दिसंबर, **1978**।

दंड प्रक्रिया संहिता *(1974* का *2)*-धारा *209* और *323*-एक ही घटना से उत्पन्न होने वाले प्रति-मामले-अभियुक्तों का एक समूह *(2) 1978* का दंड संख्या *27,24* मई*, 1978* को निर्णय लिया गया।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य अपराधों के लिए आरोपित-मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण योग्य अपराधों के लिए आरोपित अभियुक्तों के अन्य समूह-मजिस्ट्रेट ने सत्र न्यायालय के लिए अभियुक्तों के दोनों समूहों को प्रतिबद्ध किया-अभियुक्तों के बाद के समूह की प्रतिबद्धता-क्या कानूनी है—धारा *209* और *323*-का दायरा

अभिनिर्धारित किया गया कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 209 और 323 के पठन से यह बहुत स्पष्ट हो जाता है कि दोनों उपबंध अलग-अलग स्थितियों में कार्य करेंगे। संहिता की धारा 209 उस स्तर पर काम करेगी जब मामला पुलिस रिपोर्ट द्वारा या अन्यथा स्थापित किया जाता है और मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि अपराध विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य है, जबकि संहिता की धारा 323 बाद के चरण में और मजिस्ट्रेट द्वारा निर्णय दिए जाने से पहले के चरण तक लागू होगी और यदि किसी भी स्तर पर मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि मामले का "सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षण किया जाना चाहिए", तो वह उस न्यायालय को संहिता के प्रावधानों के अनुसार मामला सौंप देगा जो केवल धारा 209 के प्रक्रियात्मक भाग को संदर्भित करता है न कि मूल भाग को। "सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षण किया जाना चाहिए" शब्द महत्वपूर्ण हैं और विधानमंडल ने इन शब्दों का उपयोग योजनाबद्ध रूप से उन मामलों को शामिल करने के लिए किया है जो विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षण योग्य नहीं हैं। विधानमंडल द्वारा उपयोग किए गए प्रत्येक शब्द को उस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए उसका वास्तविक अर्थ दिया जाना चाहिए जिसके तहत उक्त शब्दों का उपयोग किया गया है। यह व्याख्या न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाएगी, क्योंकि किसी दिए गए मामले में एक विशेष घटना अपराध को जन्म दे सकती है जिसके लिए अपराध में भाग लेने वाले दोनों पक्षों पर अलग-अलग आरोप लगाया जा सकता है। एक पक्ष के खिलाफ अपराधों का एक समूह विशेष रूप से मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण योग्य हो सकता है और अपराधों का दूसरा समूह विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य हो सकता है। यह न्याय की विकृति होगी यदि एक ही घटना, जिसके परिणामस्वरूप हमले में भाग लेने वाले पक्षों के खिलाफ अपराधों के दो अलग-अलग सेट हुए, का निर्धारण दो अलग-अलग अदालतों द्वारा और अलग-अलग किया जाए। तथापि, संहिता की धारा 323 के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करने वाले मजिस्ट्रेट को यह न्यायोचित ठहराते हुए एक युक्तियुक्त आदेश पारित करना होगा कि जिन अपराधों के लिए अभियुक्तों पर आरोप लगाए गए हैं, उनका विचारण सत्र न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए और यदि कारण उस मामले में प्राप्त किए जाने का उद्देश्य है, तो मजिस्ट्रेट का उक्त आदेश स्पष्ट रूप से अधिकारिता के भीतर होगा।(पैरा 5).

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 395 की उपधारा (2) के अधीन इस विषय पर प्राधिकृत निर्णय के लिए रिपोर्ट किया गया मामला कि क्या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 323 के अधीन मजिस्ट्रेट सत्र न्यायालय में ऐसे अपराध से संबंधित मामला कर सकता है जिसका विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारण नहीं किया जा सकता है।

याचिकाकर्ता की ओर से ए. जी. हरियाणा के अधिवक्ता के. एस. कुंडू।

सी बी गोयल, अधिवक्ता, प्रत्यर्थियों की ओर से।

बी. एस. ढिल्लों, न्यायमूर्ति:-

(1) यह निर्देश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, करनाल द्वारा अपने दिनांक 18 मई, 1978 के आदेश द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 395 की उपधारा (2) के अधीन (जिसे इसके पश्चात् नई संहिता के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) किया गया है।

(2) संक्षेप में कहा गया है कि इस संदर्भ को जन्म देने वाले तथ्य यह हैं कि पुलिस ने प्रत्यर्थियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 324 और 323 के तहत चालान दायर किया। एक क्रॉस-केस में, जो उसी घटना के परिणामस्वरूप हुआ, दूसरे पक्ष पर अन्य अपराध के अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत अपराध का आरोप लगाया गया था। नतीजतन, क्रॉस-केस विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य होने के कारण, सत्र न्यायालय के लिए प्रतिबद्ध था। जब चालान पानीपत के उप-विभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें प्रतिवादी अभियुक्त हैं, तो उन्होंने 24 मार्च, 1978 के अपने आदेश के माध्यम से इस मामले को सत्र न्यायालय को इस आधार पर प्रस्तुत किया कि एक ही घटना के परिणामस्वरूप हुए प्रति-मामले का विचारण सत्र न्यायालय द्वारा किया जा रहा था क्योंकि यह विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य था। विद्वत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने इस न्यायालय का संदर्भ देते हुए सिफारिश की है कि प्रत्यर्पण के आदेश को इस आधार पर निरस्त किया जाए कि जिन अपराधों के लिए प्रत्यर्थियों पर आरोप लगाए जा रहे थे, वे विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य नहीं थे। विद्वत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने सम्राट बनाम करम सिंह, (1) में लाहौर उच्च न्यायालय की एकल पीठ के निर्णय और पंजाब राज्य बनाम गुरमुख सिंह में इस न्यायालय की एकल पीठ के निर्णय और (2) इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि नई संहिता की धारा 323 के उपबंधों के अधीन "विचारण किया जाना चाहिए" शब्दों को अनन्य रूप से विचारण योग्य समझा जाना चाहिए, का निर्देश दिया है। 1 नई संहिता के उपबंधों को ध्यानपूर्वक पढ़ा है और पाया है कि ऐसी व्याख्या देना संभव नहीं है। नई संहिता की धारा 209 के प्रावधान इस प्रकार हैं:- 209। जब किसी पुलिस रिपोर्ट पर या अन्यथा संस्थित किसी मामले में अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होता है या लाया जाता है और मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि अपराध विशेष रूप से सेशन न्यायालय द्वारा विचारण योग्य है, तो यह होगा:-(क) मामले को सेशन न्यायालय को सौंप देना;

(ख) जमानत से संबंधित इस संहिता के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अभियुक्त को विचारण के दौरान और उसके समापन तक अभिरक्षा में प्रतिप्रेषित करें; (ग) उस न्यायालय को मामले का अभिलेख और साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज और लेख, यदि कोई हों, भेजें; (घ) लोक अभियोजक को सत्र न्यायालय को मामले की प्रतिबद्धता के बारे में अधिसूचित करें।

(3) नई संहिता की धारा 323 के प्रावधान इस प्रकार हैंः-

"323। यदि किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष किसी अपराध या विचारण की किसी जांच में, उसे निर्णय पर हस्ताक्षर करने से पहले कार्यवाही के किसी भी स्तर पर यह प्रतीत होता है कि मामला वह है जिसकी सुनवाई सत्र न्यायालय द्वारा की जानी चाहिए, तो वह इसे पहले निहित प्रावधानों के तहत उस न्यायालय को सौंप देगा।

(4) जहां तक दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 (जिसे इसके पश्चात् पुरानी संहिता कहा गया है) के उपबंधों का संबंध है, यह काफी महत्वपूर्ण है कि प्रत्यर्पण कार्यवाहियों की प्रक्रिया भिन्न थी और इसलिए पुरानी संहिता के अध्याय 18 में विस्तृत प्रक्रिया का उपबंध किया गया था। पुरानी संहिता की धारा 205 और 207 निम्नलिखित शब्दों में थी-"206 (1) कोई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट या उच्च न्यायालय द्वारा इस निमित्त सशक्त द्वितीय श्रेणी का कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट, ऐसे न्यायालय द्वारा विचारण योग्य किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय में विचारण के लिए प्रतिबद्ध कर सकता है।

2) लेकिन, जैसा कि इसमें अन्यथा प्रावधान किया गया है, सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय में परीक्षण के लिए प्रतिबद्ध नहीं होगा।

207) मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रत्येक जांच में जहां मामला विशेष रूप से सत्र या उच्च न्यायालय के न्यायालय द्वारा विचारण योग्य है, या मजिस्ट्रेट की राय में, ऐसे न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाया जाना चाहिए, मजिस्ट्रेटः-(ए) पुलिस रिपोर्ट पर स्थापित किसी भी कार्यवाही में, धारा 207-ए में निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करें, और हरियाणा राज्य बनाम हरभजन सिंह और एक अन्य (बी एस ढिल्लों, न्यायमूर्ति)

(ख) किसी अन्य कार्यवाही में, इस अध्याय के अन्य उपबंधों में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण करें।

(5) जैसा कि संहिता की धारा 206 के उपबंधों के अधीन स्पष्ट है, वचनबद्धता का आदेश देने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट, ऐसे न्यायालय द्वारा विचारण योग्य किसी अपराध के लिए सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय में विचारण के लिए किसी व्यक्ति की वचनबद्धता का आदेश दे सकता है। इसका अनिवार्य रूप से यह अर्थ होगा कि समर्पण का आदेश देते समय उन अपराधों को ध्यान में रखा जाना चाहिए जो विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य थे। पुरानी संहिता की धारा 207 धारा 206 का अनुसरण करती है। पुरानी संहिता की धारा 207 में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रत्येक जांच में जहां मामला विशेष रूप से सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा विचारण योग्य है, या मजिस्ट्रेट की राय में, ऐसे न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाया जाना चाहिए, मजिस्ट्रेट संहिता में इसके बाद प्रदान की गई प्रक्रिया का पालन करेगा। पुरानी संहिता की धारा 207 में प्रकट होने वाले "ऐसे न्यायालय द्वारा विचारण किया जाना चाहिए" शब्दों की व्याख्या पुरानी संहिता की धारा 206 के उपबंधों के आलोक में की जानी चाहिए जो इस धारा से पूर्व है। इसके अतिरिक्त, पुरानी संहिता की धारा 347 के उपबंध नई संहिता की धारा 323 के समान शब्दों में हैं। किसी भी मामले में, पुरानी संहिता के तहत सत्र न्यायालय को मामलों की प्रतिबद्धता की प्रक्रिया को नई संहिता में मौलिक रूप से बदल दिया गया है और लंबी प्रक्रिया को हटा दिया गया है। इसलिए, पुरानी संहिता के प्रावधान संहिता की धारा 323 के साथ पठित धारा 299 के प्रावधानों की व्याख्या के लिए कोई मार्गदर्शन प्रदान नहीं करेंगे। नई संहिता संहिता की धारा 209 और 323 के उपबंधों को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि दोनों उपबंध अलग-अलग परिस्थितियों में कार्य करेंगे। नई संहिता की धारा 209 उस स्तर पर काम करेगी जब मामला पुलिस रिपोर्ट द्वारा या अन्यथा स्थापित किया जाता है और मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि अपराध विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा

विचारण योग्य है, जबकि नई संहिता की धारा 323 बाद के चरण में और मजिस्ट्रेट द्वारा निर्णय दिए जाने से पहले के चरण तक भी लागू होगी जैसे कि किसी भी स्तर पर मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि मामले का "सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षण किया जाना चाहिए", वह संहिता में निहित प्रावधानों के तहत मामले को सत्र न्यायालय को सौंप देगा, जो केवल धारा 209 के प्रक्रियात्मक भाग को संदर्भित करता है न कि मूल भाग को। "सत्र न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाया जाना चाहिए" शब्द महत्वपूर्ण हैं। विधायिका ने इन शब्दों का उपयोग सुनियोजित रूप से किया ताकि उन मामलों को शामिल किया जा सके जो विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य नहीं हैं, लेकिन जिन्हें अन्यथा "सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षण किया जाना चाहिए"। विधानमंडल द्वारा उपयोग किए गए प्रत्येक शब्द को उस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए उसका वास्तविक अर्थ दिया जाना चाहिए जिसके तहत उक्त शब्दों का उपयोग किया गया है। यह व्याख्या, मेरे विचार में, न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाएगी। किसी मामले में, एक विशेष घटना अपराधों को जन्म दे सकती है जिसके लिए अपराध में भाग लेने वाले दोनों पक्षों पर अलग-अलग आरोप लगाए जा सकते हैं। एक पक्ष के खिलाफ अपराधों का एक समूह विशेष रूप से मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण योग्य हो सकता है और अपराधों का दूसरा समूह विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य हो सकता है। यह न्याय की विकृति होगी यदि एक ही घटना जिसके परिणामस्वरूप हमले में भाग लेने वाले पक्षों के खिलाफ अपराधों के दो अलग-अलग सेट हुए, दो अलग-अलग न्यायालयों द्वारा और अलग-अलग निर्धारित किया जाना है। घटना को अलग भी नहीं किया जा सकता है। इस तरह की व्याख्या के परिणामस्वरूप न्याय की विफलता हो सकती है। संहिता को न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाने और दोषियों को न्यायालय के समक्ष अपना दृष्टिकोण रखने का उचित मौका देने के लिए अधिनियमित किया गया है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, किसी भी ऐसी व्याख्या से बचना चाहिए जिसके परिणामस्वरूप विसंगतियां होती हैं और जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्त व्यक्तियों के एक समूह के साथ गंभीर अन्याय हो सकता है। यह निश्चित रूप से सच है कि मजिस्ट्रेटों के बीच मामलों को बिना किसी उचित कारण के सत्र न्यायालय को सौंपने की प्रवृत्ति है। इस प्रवृत्ति की निंदा की जानी चाहिए। अतः यह निर्धारित करना वांछनीय है कि नई संहिता की धारा 323 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने वाले मजिस्ट्रेट को एक युक्तियुक्त आदेश पारित करना होगा जिसमें यह न्यायोचित ठहराया जाए कि जिन अपराधों के लिए अभियुक्तों पर आरोप लगाए गए हैं, उनका विचारण सेशन न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए। यदि कारण प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के अनुरूप हैं, तो उस मामले में मजिस्ट्रेट का उक्त आदेश स्पष्ट रूप से अधिकारिता के साथ होगा, लेकिन यदि प्रतिबद्धता आदेश पारित करने का कारण उद्देश्य के अनुरूप नहीं है, अर्थात किस आधार पर मजिस्ट्रेट की राय है कि मामले का विचारण सत्र न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए, तो उस मामले में आदेश अधिकारिता के बिना होगा।

(6) जहां तक के सिंह के मामले (उपर्युक्त) में लाहौर उच्च न्यायालय के निर्णय का संबंध है, मुझे नहीं लगता कि उक्त निर्णय प्रस्ताव को निर्धारित करता है जैसा कि विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा समझा गया है। उसी निर्णय में, यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि ऐसे मामले को करने में जो विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य नहीं है, मजिस्ट्रेट को उचित विवेकाधिकार का प्रयोग करना चाहिए और मामले को सत्र न्यायालय को सौंपने के लिए पर्याप्त कारण देने चाहिए। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि एक ऐसा मामला हो सकता है, जिसका विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षण नहीं किया जा सकता है, ऐसे मामले में भी मजिस्ट्रेट मामले को सत्र न्यायालय को सौंप सकता है, लेकिन उसे आदेश पारित करने के लिए अच्छे कारण देने होंगे। वास्तव में यह उन तथ्यों और परिस्थितियों का मामला था जिसमें प्रतिबद्धता आदेश को उचित नहीं पाया गया था और अतिरिक्त सत्र

न्यायाधीश द्वारा दिए गए संदर्भ को मुख्य न्यायाधीश शादी लाल ने संदर्भ आदेश में दिए गए कारणों को स्वीकार करते हुए स्वीकार कर लिया था। इसी तरह, गुरमुख सिंह के मामले (उपर्युक्त) में इस अदालत का एकल पीठ का निर्णय उस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर एक निर्णय है। उस मामले में संदर्भ आदेश से यह स्पष्ट है कि विद्वान सत्र न्यायाधीश, जिन्होंने संदर्भ दिया था, ने पाया कि मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिबद्धता का आदेश पारित करने के लिए कोई उचित कारण नहीं दिए गए थे। इसके अलावा, उक्त मामला पुरानी संहिता के प्रावधानों के तहत एक मामला था। जैसा कि मैंने पहले ही देखा है, पुरानी संहिता के तहत प्रतिबद्धता कार्यवाही नई संहिता में निहित कार्यवाही से काफी अलग थी।

(7) ऊपर अभिलिखित कारणों से, विद्वत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, करनाल द्वारा दिए गए संदर्भ को अस्वीकार कर दिया गया है। विद्वत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को इस मामले के निर्णय और प्रति-मामले के साथ आगे बढ़ने का निर्देश दिया जाता है। पक्षकारों को उनके वकील के माध्यम से 22 दिसंबर, 1978 को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, करनाल के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।

एच एस बी

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

प्रियंका वर्मा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

फ़रीदाबाद, हरियाणा